HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में 02 आरोपियों को 05 वर्ष का साधारण कारावास व 6,000-6,000/- रुपये (कुल 12,000/-रुपये) के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 10.02.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में 02 आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 08.06.2004 को 1. विकास उर्फ बिट्टू व 2. बिल्ला उर्फ संजय पुत्रगण मुन्नालाल निवासीगण मौ0 खारी कुंआ थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा मुकदमा वादी के घर में घुसकर मारपीट करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 257/04 धारा 452, 323, 427 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 17.06.2004 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 10.02.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ द्वारा 05 वर्ष का साधारण कारावास व 6,000-6,000/- रुपये (कुल 12,000/- रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री सुनील (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री राजाराम पैरोकार का0 रोहित व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 मनिपाल सिंह का विशेष योगदान रहा।